



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बीकानेर, सी-38, सादुलगंज,

बीकानेर (राजस्थान)- 334002

Project Implementation Unit- Bikaner, C-38, Sadulganj,

Bikaner (Rajasthan) - 334002, फोन / Tel.: 0151-2224477

ई-मेल : bikaner@nhai.org, nhaibikaner@gmail.com



“सड़कें ही नहीं, राष्ट्र का निर्माण भी”

क्रमांक : 16003/1/2017/Forest (BM-10)/2024-25/1972

दिनांक 17.12.2024

उपवन संरक्षक

इ.गा.न.प. स्टेज द्वितीय

बीकानेर

विषय : Diversion of 11.8259 hectare Forest Land for Upgradation to 2 lane with paved shoulder/ 4 lane of Khajuwala - Poogal Section (Design chainage 0+000 to 30+812) and Poogal - Dantour - Jaggasar - Gokul - Goddu - Ranjitpura - Charanwala - Naukh - Bap section of NH-911 (Design chainage 1+430 to 182+725) (Total Length 212.107 Km) under Bharatmala Pariyojna in the state of Rajasthan on Hybrid Annuity Mode:
Proposal No. :FP/RJ/ROAD/41036/2019

संदर्भ: आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ () सर्वे/उ.व.स.-II/24-25/7670 दिनांक 09.12.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके कार्यालय के संदर्भित पत्र संख्या द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 18.09.2024 एवं नोडल अधिकारी एफसीए जुयपर के पत्र संख्या 10137-40 दिनांक 29.11.2024 द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में संबंधी की गई कार्यवाही के दस्तावेज संलग्न कर भिजवाये थे तथा उक्त दस्तावेजों को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु लिखा है।

उक्त के संबंध में लेख है कि इस कार्यालय द्वारा उक्त दस्तावेजों को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है जिसकी प्रतिलिपि संलग्न कर आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

पी.ए.ए.ए.ए.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- (1) क्षेत्रीय अधिकारी भाराराप्रा जयपुर
- (2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर
- (3) संभागीय मुख्य वन संरक्षक बीकानेर
- (4) श्री आर.पी.गुप्ता संयुक्त सलाहकार (वृक्षारोपण) क्षेत्रीय कार्यालय भाराराप्रा जयपुर

परियोजना निदेशक/Project Director
भाराराप्रा प.का.ई. बीकानेर/NHAI, PIU, Bikaner

- Forest Clearance - PARIVESH
- Welcome to PARIVESH
- Welcome to Simple Window, Cl
- forestsclearance.nic.in/useraccou

forestsclearance.nic.in/useraccount/Compliance_report.aspx?Cat_Id=FP%2FRoad%2FROAD%2F141036%2F2019

forestsclearance.nic.in says

Data Forwarded to Nodal.

OK

कार्यालय उप वन संरक्षक, इ.गां.न.प. स्टेज-II बीकानेर

क्रमांक: एफ ()सर्वे/उ.व.सं.-II/24-25/7670

दिनांक:- 9-12-24

निमित्त,

परियोजना निदेशक,
NHAI, C-38 सादुल गंज
बीकानेर

विषय:- Diversion of 11.8259 ha. Of forest land of national highways authority of India Bikaner for upgradation to 2 lane with paved shoulder/4 lane of Khajuwala Poogal section (Design chainage 0.0 to 30.812) and Poogal-Dantour-Jaggasar- Gokul-Goddu – Ranjitpura- Charanwala- Naukh-Baap (प्रसं FP/RJ/ROAD/41036/2019)

प्रसंग:- अ.प्र.मु.व.प्रो., नोडल अधिकारी F.C.A., जयपुर का पत्रांक 3007 दिनांक 18.9.24 एवं आपका पत्रांक 9031-34 दिनांक 30.10.24, समुवसं, बीकानेर का पत्रांक 10137-40 दिनांक 29.11.24

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत लेख है कि Diversion of 11.8259 ha. Of forest land of national highways authority of India Bikaner for upgradation to 2 lane with paved shoulder/4 lane of Khajuwala -Poogal section(Design chainage 0.000 to 30.812) and Poogal-Dantour-Jaggasar-Gokul-Goddu- Ranjitpura-Charanwala-Naukh-Baap (प्रस्ताव स.FP/RJ/ROAD/41036/2019) में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के पत्र दिनांक 18.09.24 एवं नोडल अधिकारी एफसीए, जयपुर के प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में VIOLATION संबंधी सूचना मांगी गई है। इस कार्यालय द्वारा वन भूमि में Violation संबंधी की गई कार्यवाही के दस्तावेज संलग्न अनुसार हैं। अतः आप संलग्न दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर इस कार्यालय को सूचित करें ताकि भारत सरकार को उक्त प्रकरण की पालना रिपोर्ट प्रेषित की जा सकें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार



भवदीय

उप वन संरक्षक
इ.गां.न.प स्टेज- II
बीकानेर

दिनांक:-

क्रमांक:-सम/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर।

उप वन संरक्षक
इ.गां.न.प स्टेज- II
बीकानेर

कार्यालय उप वन संरक्षक, इ.गां.न.प. स्टेज-II बीकानेर

क्रमांक एफ () संवे / उ.व.सं.-स्टेज-II/24-25/ 6886

दिनांक- 18-11-24

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
बीकानेर।

विषय:- Diversion of 11.8259 ha. Of forest land of national highways authority of India Bikaner for upgradation to 2 lane with paved shoulder/4 lane of Khajuwala Poogal section (Design chainage 0.000 to 30.812) and Poogal-Dantour-Jaggasar- Gokul-Goddu- Ranjitpura-Charanwala- Naukh-Baap (प्रसं FP/RJ/ROAD/41036/2019)

प्रसंग:- अ.प्र.मु.व.प्रो.नोडल अधिकारी F.C.A., जयपुर का पत्रांक 3007 दिनांक 18.9.24 एवं आपका पत्रांक 9031-34 दिनांक 30.10.24

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि Diversion of 11.8259 ha. Of forest land of national highways authority of India Bikaner for upgradation to 2 lane with paved shoulder/4 lane of Khajuwala-Poogal section (Design chainage 0.000 to 30.812) and Poogal-Dantour-Jaggasar-Gokul-Goddu- Ranjitpura-Charanwala- Naukh-Baap (प्रस्ताव स.FP/RJ/ROAD/41036/2019) में इस वनमंडल परिक्षेत्र में 0.05 हैक्टर वन क्षेत्र में Violation किया गया है। जिसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही निम्नानुसार है:-

(A) इस वन मण्डल के 0.05 हैक्टर वन क्षेत्र में Violation किया गया है। जिसकी Penal NPV राशि 4380/- यूजर एजेंसी द्वारा NEFT NO. पी 325200073527926 दिनांक 20.02.2020 द्वारा कैम्पा फण्ड में जमा करवा दिये गये हैं। जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 1217 दिनांक 19.02.2021 द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी संवैधानिक स्वीकृति की पालना रिपोर्ट में श्रीमान जी को प्रेषित की गयी है। Penal NPV की गणना एफ.सी.ए.की गाईड लाईन के पाइंट-1.21 (B) के अनुसार की गयी है। गाईडलाईन में निर्देशों के क्रम में निम्नानुसार निवेदन है:-

पाइंट नं.: 1.21-(B) अनुसार Public utility project है अतः NPV Value का 20 प्रतिशत शास्ति लगाई गई है।

(C) कोई भी सरकारी कर्मचारी दोषी नहीं था अतः कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गई। प्रकरण में यूजर एजेंसी द्वारा सड़क निर्माण के दौरान दुर्घटना से बचाव हेतु पास स्थित भूमियों से मृदा खोद कर बर्म पर डाली गई थी। ऐसे में चार स्थानों पर जिनका कुल क्षेत्रफल 0.05 हैक्टर था वन भूमि से मृदा उठाने का कार्य अज्ञानतावश किया गया जिसके विरुद्ध विभागीय एफ.आई.आर. संख्या 35/1 दिनांक 08.08.2020, 49/37 दिनांक 19.12.2019, 293/42 दिनांक 07.08.2020, 35/2 दिनांक 08.08.2020 दर्ज कर एवजाना लिया गया है। किसी कर्मचारी/अधिकारी का involment नहीं पाया गया है व petty offence होने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गई।

(D) यूजर एजेंसी से संलग्न एफ.आई.आर. अनुसार राजस्थान वन अधिनियम के तहत कार्यवाही सम्पादित कर एवजाना/शास्ति ली गई है।

Detail of FIR

क्र. सं.	एफ.आई.आर. नं. दिनांक	नाम अपराधी	घटनास्थल	एवजाना/शास्ति मय राशि
1	35/1 दिनांक 08.08.2020	सुखराम/कल्लूराम मेघवाल निवासी गोडू	25आर.डी.पी.एस.एस.एम. चक चार पी.एस. एस.एम.	28000/-
2	49/37 दिनांक 19.12.2019	शिवराज/राधाकिशन बिरनोई निवासी गोडू	19 जी.एम.आर.(गोडू)	30000/-
3	293/42 दिनांक 07.08.2020	आसू सिंह/बलेशिंह राजपूत निवासी चारणवाला	5 एच.एल.एम./7/8 जी.एम.	31000/-
4	35/2 दिनांक 08.08.2020	मघाराम/घतराराम निवासी गोडू	19 जी.एम.आर.	25000/-

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

उप वन संरक्षक
इ.गां.न.प स्टेज- II
बीकानेर

दिनांक:- 18-11-24

क्रमांक:-सम/ 6887

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

उप वन संरक्षक
इ.गां.न.प स्टेज- II
बीकानेर

घन विभाग, राजस्थान

अपराध की प्रारम्भिक सूचना

First Information Report

प्रथम प्रति

पत्रिक क्रमांक

35

पृष्ठ क्रमांक

2

1. तारीख रिपोर्ट..... 8-8-20.....

2. दोषी का नाम, जाति एवं निवास स्थान: मधुसूदन /
पताराम, जाति: मेघवाल, नि: गाँव.....

3. अपराध का विवरण: वन भुक्ति (5/5)

4. घटना का स्थान: P. G. M. R.

5. दिनांक अपराध करने का: 7-8-20

विवरण: पैदावार जंगल जो पकड़ी गई व जो कार्यवाही की गई: प्रकृति, दण्डित कार्यवाही की गई

6. किसकी सुपुर्दगी में रखा गया? हल्द जा (6/6)

7. गवाह साक्षी 1. श्री राज सिंह रा वनपाल

2. श्री जटाराम वृ. 4

हस्ताक्षर रिपोर्ट कुनिन्दा

मि. लन शोध नियम
1958 की धारा 30, 31, 32
के अन्तर्गत

अपराध की प्रारम्भिक सूचना

293

(1) अपराध तिथि 07/08/2020

(2) दोषी का नाम, जति एवं निवासस्थान डॉ. सुशिक्षित

जलो सिंह साहिब, इन्द्रप्रताप चारलावाला

(3) अपराध का विवरण वन शुभितिका

(4) अपराधी का स्थान इमराना/गोडपला

(5) दिनांक अपराध करने का 06/8/2020

(6) निवृत्त 4 दिनों में अपराध को पकड़ा गया व जो नोंदियाई की
गई नियोम अनुसार कार्यवाही

(7) निवृत्त सुबोधों का स्थान तहसील राजेश्वरका

(8) नाम पेशी गोपाल सिंह पनरदाक

Compound No

Receipt No

1367/18

Dr. 12/21

1367/18

Challan No

2. हेमराज वेलाक

दिनांक 08/08/20

हस्ताक्षर रिपोट कुलिन्वा

1367/18

रिपोट शुनिदा को सुबोधों मिलने के 24 घण्टे के अन्दर

करना करना करनी चाहिये

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी इकाई गोंड

Comp Haparwan Sph-02

दिनांक - 24/08/2021

निमित्त - श्रीमान उप वन संरक्षक
इ. गा. न. प. स्टेज II
लीकानेर ।

विषय :- सड़क निर्माण कार्य NH-311 (भारतमाला परियोजना) में
FCA के उल्लंघन जांचत ।

व्यक्ति - श्रीमान जी से ईरभाघ पर हुई वार्ता के क्रम में ।

प्रमाण्य, उपरोक्त विधमान्तर्गत निवेदन है कि रेंज इकाई गोंड
के अधीन सड़क निर्माण कार्य में मूजर एजेन्सी द्वारा वन
संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन ध्वी में वन खण्ड 1964MR
में 0.0125 हेक्टर व वनखण्ड 4P55M में 0.0125 हेक्टर पर
किया गया था । इस उल्लंघन पर मूजर एजेन्सी के
विरुद्ध निधमानुसार मुकदमे दर्ज किये गये ।

क्र.स.	FIR No & Date	Receipt No. & Date	Amount
1	49/37 13-12-19	5/3 19-2-2021	30,000 = 00
2	35/01 8-8-20	5/4 19-2-2021	28,000 = 00
3	35/02 8-8-20	5/5 19-2-2021	25,000 = 00

उक्त मुकदमों में श्वजना प्राप्त कर निरतारण कर दिया
गया है इसके पश्चात मूजर एजेन्सी द्वारा कोई उल्लंघन नहीं
किया गया है एवं सड़क निर्माण कार्य भी पूर्ण कर लिया
गया है ।

रिपोर्ट श्रीमान जी की देवा में लुप्तार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही
द्वारा प्रेषित है ।

भवदीय
क्षेत्रीय वन अधिकारी
इकाई गोंड /

श्री श्री वन अधिकारी, इकाई - चतुर्थ (RD) भूरासर

कॉम्प. - Haphabar - SP 2-01

दिनांक: 24-08-2021.

निवेदन: श्री मान उपवन संरक्षण,
इ. गा. न. परि. स्टेज - II,
वीमानेर।

कृप.: सड़क निर्माण कार्य NH-311 (भारत माता परियोजना) में
FCA के अन्वयन आगार।

नम्र.: श्री मान जी से हुई प्रस्ताव पर कार्य के क्रम में।

विषय,

उपरोक्त विषयानुसार निवेदन है कि स्टेज - इकाई - चतुर्थ
RD भूरासर के अधीन सड़क निर्माण कार्य में वन संरक्षण -
अधिनियम 1980 का अन्वयन पूजर एजेन्सी द्वारा पूर्व में
अनुमति - SHLM में 0.0250 हे० पर लिया गया था इस अन्वयन
पर पूजर एजेन्सी विस्तार FZ No. 293/48, दि०. 7-8-2005 का
मुद्रांक एवं खता सं. 1367/18 दि० 19-2-2021. वारि 31/07/21
द्वारा संवजाना वसूला कर लिया गया है। इसके पर्याप्त पूजर
एजेन्सी द्वारा अन्य कोई अन्वयन नहीं लिया गया है। एवं
पूजर एजेन्सी द्वारा सड़क निर्माण कार्य भी पूर्व पर लिया
गया है।

अधीन

श्री श्री
श्री श्री वन अधिकारी
इ. गा. न. परि.
स्टेज II इकाई, चतुर्थ
नु. 29 RD भूरासर

अपराध की प्रारम्भिक सूचना

49

अपराध की

37

दिनांक

पृष्ठ संख्या

19/12/2019

(1) अपराध विभाग

(2) शिकारी का नाम, जाति एवं निवासस्थान शिवराज 57

राज्य विभाग विभाग विभाग विभाग

(3) अपराध का विवरण शिकारी के अपने क्षेत्र में शिकार करने के लिए

(4) शिकार का स्थान 15 नमर (गोड)

(5) दिनांक अपराध करने का 16/12/2019

(6) अपराध के प्रकार शिकारी का शिकार करने का कार्य करने की गई

(7) शिकार के प्रकार हथियार जखम

(8) नाम शिकारी 1. जैशराम कुंवर

2. राजेश कुमार

शिवराज

अपराध विभाग राजस्थान

जन विभाग, राजस्थान

अपराध की प्रारम्भिक सूचना

First Information Report

भयान प्रति

पूरतक क्रमांक

35

1

पृष्ठ क्रमांक

1. तारीख रिपोर्ट..... 8-8-20.....
2. दोषी का नाम, जाति एवं निवास स्थान: सुखराम (37) कल्लुखाम जाति मेघनाथ निवासी जाड
3. अपराध का विवरण: बन भूमि तोड़ना
4. घटना का स्थान: 25 RD PDSM चक 4 PDSM
5. दिनांक अपराध करने का: 7-8-20
6. विवरण: पदावार जंगल जो पकड़ी गई व जो कायवाही की गई: पकड़ी गई व जो कायवाही की गई
7. किसकी सुपुर्दगी में रखा गया? हरेव जीवरा

- नाम साक्षी 1. श्री तेज सिंह से बनपाल
2. श्री गोपाल से बनपाल

हस्ताक्षर रिपोर्ट कुनिन्दा

गोपाल

राज्यीय (कर्मो जागृती) नं. 1 (4)

वन विभाग, राजस्थान

दिविजन

स्टेशन II, बीकानेर

(नामो पत्र रहने की)

5

उप नं.

परिये F.I.R. NO. 35/2 8-8-2020

सदर नं.

सं. 207

ताका नं.

ता. 19-2-21 मियाद

से तक

नाम ताका

गोड़

नाम रेंज

गोड़

नाम जंगल जहां से पैदावार लाई जावे

196MR

पैदावार कहां जावेगी

मियाद

नाम खरीददार

मधाराय / चतराराय

सकूनत मय पता

निवासी गोड़

मार्फत

स्वयं

किस्म पैदावार

वन भूमि लोडना

तादाद

शरह

तादाद महसूल

रकम

पच्चीस हजार अंकों में 25000 = 00

माविक

58000 हाल 25000 मीजान 83000 = 00

इजराय कुनिन्दा

ध्यापारी

Handwritten signature

एजाज

पृष्ठ नं. 3.

वन विभाग (कार्य वापसी) सं. 1 (4)

वन विभाग, राजस्थान

दिनांक

स्टेज II, लीकनेर

(नाम पर रहुन ली)

दुक नं.

परिये FIR No: 35/1 8-8-20

सदर नं.

5

सं. 207

19-2-20

नाका नं.

ता.

मियाद

से

तक

नाम नाका

25RD PSSM

श्रीमती गोड

गोड

नाम जंगल जहां से पंदावार लाई जावे

25RD PSSM

फर 9 PSSM

पंदावार कहा जावेगी

मियाद

नाम खरीददार

सुखराम / कल्प राम

मेघवाल

सकूनत मय पता

निवासी गोड

मार्फत

स्वयं

किस्म पंदावार

वन भुमि लोडन

तादाद

शरह

तादाद महसूल

रकम

अठ्ठाईस हजार

अंकों में 28,000 = 00

साविक

30,000

हाल 28,000 मीजान

58,000 = 00

र. धजराय कुतिन्दा

ध. श्यापारी

कुतिन्दा

एजाज

सूचना (प्राप्त नमूना) नं. 1 (ब)

वन विभाग, गजपुर

विभाग 2, सी. 11, तीर, गेड

(नाम पर रहत ती)

सूच. नं. गेडगे FJR No. 49/37 3
सदर नं. 5 19-2-2021/1-2-19
मं. 207

नाका नं. ता. मियाद से तक
नाम नाका गेड नाम रंज गेड

नाम जंगल जहां से पंदावार लाई जावे
पंदावार कहां जावेगी
मियाद

नाम खरीददार शिवराज/राधा कुशु मिश्रदि
सकूनत मय पता चि. पूरुसा गेड

माफंत जिते-डिदि
किस्म पंदावार एवजान मिट्टी खोदक पोथ नालेके
तादाद मारह

तादाद महसूल
रकम 30000 = 00 अंकों में तीस हजार मात्र
साबिक — हाल 30000 = 00 मीजान 30000 = 00

ए. इजराय कुनिन्दा

ध. ग्याशारी

[Handwritten signature]

एजान

20-293/42
8/2020

जम विभाग का कार्य सम्बन्धी 1 नं० 1 (क)

जम विभाग राजस्थान
जयपुर ज० अ० 2020

दिनांक

(यदि कोई खास तारीख हो तो)

11/17

पृष्ठ नं० 18

19/12/2024 सं० 2114

नाम सहायक

नाम रकम इकाई चतुर्थ 29RD

जम बकाया जहाँ से देखाकर खाई जाये

देखाकर बकाया खाई जाये

मिशन

नाम जमदार औरंग सिंह / बल्ले सिंह राजपुर

जहाँ से जम पूरा चारणवाली

नाम जमदार अतिन्द्र सिंह

जहाँ से जम देखाकर जम भूमि तोड़ना

जहाँ से जम

जहाँ से जम

रकम 31,000/- अंकी अइकतीस हजार रुपये

साक्षर

हस्ताक्षर

भांजान

हस्ताक्षर जमदार

हस्ताक्षर जमदार

कमा

अतिन्द्र सिंह
जमदार